न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 32/2020

अपीलान्ट :–

1. पहाडसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपूत, निवासी नई मोरसीम, तहसील बागोडा, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. पाबु पुत्री सोदरा फौत के कायम मुकाम–
   1/1 मांगसिंह पुत्र दामसिंह
2. गणी पुत्री सोदरा
3. गणपतसिंह पुत्र मोबता के कायम मुकाम
   3/1 आदुसिंह पुत्र गणपतसिंह
   3/2 विक्रमसिंह पुत्र गणपतसिंह
   3/3 शैतानसिंह पुत्र गणपतसिंह
4. बलवंतसिंह पुत्र मोबता
5. जबरसिंह पुत्र मोबता फौम के कायम मुकाम
   5/1 लालूसिंह पुत्र जबरसिंह
   5/2 महेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह
   5/3 पदमसिंह पुत्र जबरसिंह
   5/4 श्रवणसिंह पुत्र जबरसिंह
   5/5 शेरसिंह पुत्र जबरसिंह
6. देवा पुत्र भोमा
7. सवा पुत्र रणसा फौत के कायम मुकाम
   7/1 खीमसिंह पुत्र सवा
   7/2 वीरसिंह पुत्र सवा
   7/3 जगमालसिंह पुत्र सवा
   7/4 मांगसिंह पुत्र सवा
   7/5 जबरसिंह पुत्र सवा
   7/6 बलवंतसिंह पुत्र सवा फौत के कायम मुकरम
   7/6 (क) जालमसिंह पुत्र बलवंतसिंह
   7/6 (ख) जालमसिंह पुत्र बलवंतसिंह
   7/6 (ग) छोटुसिंह पुत्र बलवंतसिंह
8. रम्बा बेवा गोपा
9. ओखसिंह पुत्र सोना
10. जगमालसिंह पुत्र सोना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

11. गजेसिंह पुत्र सोना
12. उमसिंह पुत्र सोना
13. मोडसिंह पुत्र चैनसिंह
14. दुर्गसिंह पुत्र चैनसिंह
15. जयसिंह पुत्र चैनसिंह
16. बलवंतसिंह पुत्र चैनसिंह
17. मोतीसिंह पुत्र मंगला नाऔलाद फौत
18. बलवंतसिंह पुत्र मंगला नाऔलाद फौत
19. तुलछा पुत्र मंगला फौत के कायम मुकाम
    19/1 सुरसिंह पुत्र तुलछा
    19/2 हेमसिंह पुत्र तुलछा
    19/3 सुन्दरदेवी बेवा तुलछा, तमाम जातियान राजपुत, निवासीगण नई मोरसीम, तहसील बागोडा, जिला जालोर
20. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश गोदारा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 19
3. रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 20 की ओर से से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

:– निर्णय :–

दिनांक :– 02/03/2021

अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/93 बअनवान पाबू बनाम गणी वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/1996 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नया मोरसीम के खसरा नम्बर 1253, 1254, 1255, 1270, 1256, 1267, 1268, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1279, 1269 कुल रकबा 16.54 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन

किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को नोटिस विधिवत तामिल नहीं करवाया गया। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी में पाबू का 1/8, गुणी का 1/8 बंट में आती है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री के अन्तर्गत पाबू को 1/4 हिस्सा भूमि दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 19 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट्स द्वारा पेश अपील में वर्णित तथ्यो का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नया मोरसीम के खसरा नम्बर 1253, 1254, 1255, 1270, 1256, 1267, 1267, 1271, 1272, 1274, 1275, 1276, 1279, 1269 कुल रकबा 16.54 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा एवं खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट पाबू द्वारा हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के सबंध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया गया था एवं कानूनन बंटवाडे के वाद में सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है एवं उक्त डिक्री की पालना में संबंधित तहसीलदार से वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई जाती है। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की जाती है। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट पाबू द्वारा प्रस्तुत वाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडे के संबंध में किसी प्रकार की डिक्री पारित नहीं की गई है इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का नोटिस विधिवत तामिल नही हुआ, जिससे अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करन का समूचित अवसर प्रदान नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रकरण में रेस्पोडेन्ट पाबू का वादग्रस्त आराजीयात में 1/8 हिस्सा बनता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो को दरकिनार करते हुये जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा रेस्पोडेन्ट पाबू को 1/4 हिस्सा दिया है जिसके कारण जैर अपील निर्णय व डिक्री हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतित नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/93 बअनवान पाबू बनाम गणी वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/1996 को अपास्त किया जाता है। सम्पूर्ण

वादग्रस्त कुल आराजी 16.54 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पाबू के कायम मुकाम मांगसिंह को 1/8 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गणी को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा निहित होने से 1/6 हिस्सा यानि 2.75 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 देवा पुत्र भोमा का कुल आराजी में 1/8 हिस्सा यानि 2.06 हैक्टर अपीलान्ट द्वारा खरीदा होने के कारण कुल रकबा 4.81 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बागोडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली